

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर**

राजस्व वाद 57/2023 (2023/159)

1. नाहरसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी लसाडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. श्रीमान तहसीलदार केकड़ी तहसील कार्यालय केकड़ी जिला अजमेर

—अप्रार्थी

**राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट  
आदेश**

दिनांक 25.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर कैम्प लसाडिया में पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम लसाडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—


खाता संख्या नया-पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
176-168	1049	1.70	बारानी 1
	<b>कुल किता 1</b>	<b>कुल रकबा 1.70 हैक्टर</b>	

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाशत की आराजीयात है तथा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रार्थी की आराजीयात के स्थायी सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन फसल काशत करते समय एवं फसल की सुरक्षा हेतु तारबंदी करवाते समय अन्य पडौसी विवाद करते हुए तारबंदी नहीं करने दे रहे हैं तथा प्रार्थी को जबरन बैदखल करते हुए कब्जा करने की निरंतर धमकियां दे रहे हैं जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी आज दौराने कैम्प उपस्थित। तहसीलदार केकड़ी को सुना गया। तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीया, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काशतकार है। खातेदार काशतकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी वाके ग्राम लसाडिया तहसील केकड़ी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 176-168 में दर्ज खसरा संख्या 1049 रकबा 1.70 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर कैम्प लसाडिया में मजमे आम में सुनाया गया।

  
(विकास पंचोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
केकड़ी